प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

धोखाधड़ी करने वाला 20,000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.05.21

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रामकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 59/21 धारा 420/467/468/471 भादवि के अभियोग में वांछित 20,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त श्याम किशोर पाण्डेय पुत्र स्व0 शिवशंकर लाल पाण्डेय (महामंत्री आल इन्डिया वेयर हाउसिंग कारपोरेशन इम्प्लाइज यूनियन) नि0 ग्राम घोरहा थाना शाहाबाद जिला हरदोई वर्तमान पता फ्लैट नं0 103 सुकृति इन्क्लेव पुराना आरटीओ गौतमबुद्ध मार्ग थाना कैसरबाग लखनऊ , आल इण्डिया वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन इम्प्लाइज कार्यालय एफ- 16 ईश्वरी दयाल काम्पलेक्स सेकण्ड फ्लोर जी0वी0 मार्ग लखनऊ को केशव ग्रीन सिटी थाना क्षेत्र रामकोट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा रामकोट उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम डिपो के कुल 360 व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन अपर प्रमुख सचिव गृह व अनु सचिव सहकारिता विभाग का फर्जी आदेश एवं प्रपत्र जारी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छलकपट करके धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ लिया गया था। अभियुक्त की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000/- रू0 का इनाम घोषित किया गया था।

पंजीकृत अभियोग – मु०अ० स०- 59/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना रामकोट , सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्त – श्याम किशोर पाण्डेय पुत्र स्व0 शिवशंकर लाल पाण्डेय (महामंत्री आल इन्डिया वेयर हाउसिंग कारपोरेशन इम्प्लाइज यूनियन) नि0 ग्राम घोरहा थाना शाहाबाद जिला हरदोई वर्तमान पता फ्लैट नं0 103 सुकृति इन्क्लेव पुराना आरटीओ गौतमबुद्ध मार्ग थाना कैसरबाग लखनऊ , आल इण्डिया वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन इम्प्लाइज कार्यालय एफ- 16 ईश्वरी दयाल काम्पलेक्स सेकण्ड फ्लोर जी0वी0 मार्ग लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना रामकोट

1. वरिष्ठ श्री उ०नि० अनिल कुमार तिवारी
2. हे०का० हरी लाल
3. आरक्षी राहुल पटेल